



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 25.11.2022

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी विकास उर्फ मोना पंडित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि अभियुक्त- विकास उर्फ मोना पंडित निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2015 में मादक पदार्थ की तस्करी करने के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0- 123/2015 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 25.11.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज/एफटीसी सेकंड जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विकास उर्फ मोना को दोषी पाते हुए धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 1 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता-

1 - विकास उर्फ मोना पंडित निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनाँक - 25.11.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 309/2022 धारा 302/366/506/201/120बी/34 भादवि व थाना छपरौली के मु०अ०सं० 328/2022 धारा 147/302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त मुन्तजिर को किया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 09.11.2022 को थाना छपरौली पर वादी श्री मुस्ताक पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.मुर्सलीन उर्फ काला पुत्र ताहिर, 2. अरमान उर्फ भूरा पुत्र ताहिर, 3. मुजम्मिल पुत्र ताहिर निवासीगण ग्राम असारा थाना



रमाला जनपद बागपत, 4.शहनवाज पुत्र अब्बास निवासी मखियाली थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर उसके पुत्र आरिफ की हत्या कर शव को गांव लूम्ब थाना छपरौली के जंगल में डाल दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 328/22 धारा 147/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 309/22 धारा 302/366/506/201/120बी/34 भादवि व थाना छपरौली के मु०अ०सं० 328/2022 धारा 147/302/201 भादवि में वांछित अभियुक्त मुन्तजिर को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त मुकदमों में थाना रमाला व थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-मुन्तजिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मदनपाल सिंह थाना रमाला ।

2-उ0नि0 श्री अमरदीप थाना रमाला ।

3-का0 685 दीपक कुमार थाना रमाला ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अवैध शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 36 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब, 24 अर्धे अवैध अंग्रेजी शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त एक कार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 36 बोतल अवैध अंग्रेजी



शराब, 24 अर्धे अवैध अंग्रेजी शराब तथा तस्करी में प्रयुक्त एक कार होंडा सीटी नं0 DL-3CBE-9538 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अंकुर पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी मण्डौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।
- 2-विकास पुत्र दिनेश निवासी मण्डौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।
- 3-ऋषभ पुत्र सचिन निवासी मण्डौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 24 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब रायल स्टेग।
- 12 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब रोकसफोर्ड कम्पनी।
- 24 अर्धे अवैध अंग्रेजी रायल स्टेग।
- तस्करी में प्रयुक्त एक कार होंडा सीटी नं0 DL-3CBE-9538

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-आबकारी निरीक्षक श्री अमर सिंह बौनाल।
- 2-उ.नि. श्री राममूर्ति शर्मा थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत।
- 4-प्रधान आबकारी अरविन्द कुमार।
- 5-आबकारी आरक्षी वैभव कुमार।
- 6-आबकारी आरक्षी दिनेश सोनी।
- 7-आबकारी आरक्षी सुमित कुमार।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनांक 25.11.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1106/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक ईको गाडी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.11.22 को थाना कोतवाली बडौत पर वादी जीशान मलिक पुत्र मेहरबान मलिक निवासी पट्टी चौधरान छपरौली रोड कस्बा व थाना बडौत ने सूचना दी कि छपरौली चुंगी



कस्बा बडौत से उसकी ईको गाडी नं० UP15CB-4798 को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु०अ०सं० 1106/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 1106/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की हुई एक ईको गाडी नं० UP15CB-4798 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शोएब पुत्र ईशाक निवासी पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-रियाज पुत्र तनवीर निवासी ग्राम चौन्सा थाना बावरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण--

- चोरी की हुई एक ईको गाडी नं0 UP15CB-4798 (सम्बन्धित मु0अ0स0 1106/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गवेन्द्रपाल सिंह।
2. उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह।
3. का0 403 नितिन त्यागी।
4. का0 402 विशाल पूनिया।
5. का0 166 कुलदीप कुमार।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 25.11.2022

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्तों को



गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अजय पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह नादर थाना बालैनी ।

2- का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 25-11-2022

थाना बिनौली पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम पता-

1-मोहनलाल पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार ।
- 2-है0का0 256 सतीश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 25.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजीव उर्फ संजू पुत्र जयकिशन उर्फ हप्पू निवासी पट्टी शोरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।

2.का0 875 परवेज अली ।

3.का0 857 सुरेन्द्र ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 25.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आलम पुत्र बदरे निवासी ग्राम पट्टी बंजारन(तमेलागढी) थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-सोनू पुत्र चन्द्रपाल निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
- 2- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह ।
3. उ0नि0 श्री दलवीर सिंह ।
- 4.का0 492 अनुज कुमार ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 25.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

1-इकबाल पुत्र यूसुफ निवासी रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री शिववीर सिंह थाना खेकड़ा ।

2-का0 545 मनीष थाना खेकड़ा ।

3-हो0गा0 667 बिजेन्द्र थाना खेकड़ा ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 25.11.2022

थाना दोघट पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजीव उर्फ संजू पुत्र जयकिशन उर्फ हप्पू निवासी पट्टी शोरा कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर ।
- 2.का0 875 परवेज अली ।
- 3.का0 857 सुरेन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से थाना बडौत क्षेत्र से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04-11-2022 को थाना बडौत पर वादी मुन्ना उर्फ असलम पुत्र हमीद निवासी एलम थाना कांधला जनपद शामली ने सूचना दी कि दिनांक 02.11.22 को चौधरी फार्म हाउस बडका रोड बडौत से उसकी मो0सा0 हीरो स्प्लेंडर नं0



DL-12S-9084 को किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1063/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से थाना बडौत क्षेत्र से चोरी हुई एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर नं0 DL-12S-9084 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-पवन कुमार पुत्र नाहर सिंह निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण--

- थाना बडौत क्षेत्र से चोरी हुई एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर नं० DL-12S-9084 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 1063/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत।
- 2- का० 885 हरिओम।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 25-11-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-मोनू पुत्र रसीद निवासी मौ० मुगलपुरा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-इरशाद पुत्र हबीब निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विनोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री सुरेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- का० 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-का० 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-का० 192 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।

